

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं• 49]

No. 401

नई विस्सी, सनिवार, विसम्बर 8, 1979/प्रग्रहायण 17, 1901 NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 8, 1979/AGRAHAYANA 17, 1901

इस माग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह मलग संकलन के रूप में रखा जा सके Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—पाण 3—उप-पाण (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम जिनमें साधारण प्रकार के घावेश, उपनियम स्नावि सम्मिलित हैं

General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

विधि, न्याय भीर कम्पनी कार्य मंत्रालय

(विधि कार्यविमाग)

नई विल्ली, 30 प्रक्तुबर, 1979

सा० का० ति 0 1446 किन्त्रीय सरकार, सिष्टि प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) की प्रथम अनुमूची के ब्रादेश 27 के नियम 8-ख के खण्ड (क) धारा प्रथत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के भूसपूर्व विधि मंत्रालय (विधि कार्य विभाग) की अधिसूचना सं० सा० का० नि 0 1412, नारीख 25 नवम्बर, 1960 में निम्निशिवत श्रीर संशोधन करती है, धर्यात:—

उक्त प्रधिसूचना की प्रनुसूची में, उत्तर प्रदेश से संबंधित, शीर्ष 13, उत्तर प्रदेश के नीचे, मद (क) ग्रीर (ख) तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां के स्थान पर निम्नलिखित मदें ग्रीर प्रविष्टियों रखी जाएंगी, श्रथति:—

- (क) उच्च त्यायालय, इलाहाबाद (i) श्री वी० के० वर्मन, केम्ब्रीय सरकार श्रपर स्थायी काउंसेल।
 - (ii) श्री रिथ एस० धवन, केन्द्रीय सरकार ग्रापर स्थायी काउंसेल।
 - (iii) श्री चन्द्र किशोर, केन्द्रीय सरकार ग्रवर स्थायो काउंसेल ।

- (iv) श्री श्रशोक महिते, केन्द्रीय सर-कार ग्रपर स्थायी कार्डसेल।
- (v) श्री भार० एच० जैवी, केन्द्रीय सरकार भ्रपर स्थायी काउंसेल।
- (ख) उच्च न्यायालय, लखनऊ न्यायपीठ
- (i) श्री भी० एस० मुक्ल, केन्द्रीय सरकार स्थायी काउंसेल।
- (ii) श्री ए० एन० क्रिमेदी, केन्द्रीय सरकार भ्रपर स्थायी कार्जसेल।
- (iii) श्री विजेश कुमार, केन्द्रीय सरकार भ्रपर स्थायी काउंसेल।

यह अधिसूचना 1 नवम्बर, 1979 से प्रवृत्त होंगी।

[सं० एफ-36 (11)/79-न्यायिक]

MINISTRY OF LAW, JUSTICE & COMPANY AFFAIRS (Department of Legal Affairs)

New Delhi, the 30th October, 1979

G.S.R. 1446.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of Rule 8-B of Order XXVII of the First Schedule to the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the late

तेल निगम लिमिटेड, बम्बर्ड के पित्रचमी क्षेत्र के महा प्रबंधक को बीबीय प्रबंधक, उत्तरी क्षेत्र, भारतीय तेल निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के स्थान पर कांडला पत्तन के त्यामियों के बींड में नियुक्त करती है, धौर भारत सरकार के तौयहन और परिवहन मंत्रालय (परिवहन पक्ष) को अधिस्थाना संख्या साठ काठ निठ 365(ई) दिनाक 11 जून, 1979 में निम्नलिखित गंशोधन करती है, ध्रयान:——

उक्त प्रश्चिस्त्वना में क्रम संख्या II के सामने प्रविध्ट "क्षेत्रीय प्रबंधक उत्तरी क्षेत्र, भारतीय तेल निगम लिमिटेड, नई दिल्ली" के स्थान पर प्रविध्ट "महा प्रबंधक, पण्चिमी क्षेत्र, भारतीय तेल निगम लिमिटेड, सम्बद्ध" रखी आए।

[फा० सं० पी० टी० बी-36/79] एस० पी० जैन, उप सचिव

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT (Transport Wing)

New Delhi, the 20th November, 1979

G.S.R. 1474.—In exercise of the powers conferred by section 13, rend with sub-section (1) and (6) of section 3, of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby appoints General Manager, Western Region, Indian Oil Corporation Limited, Bombay, on the Board of Trustees of the Port of Kadla, vice Regional Manager, Northern Region, Indian Oil Corporation Limited, New Delhi, and makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping and Transport (Transport Wing) No. G.S.R. 365(E), dated the 11th June, 1979, namely:—

In the said notification, against Serial Number 11, for the entry "Regional Manager, Northern Region, Indian Oil Corporation Limited, New Delhi", the entry "General Manager, Western Region, Indian Oil Corporation Limited, Bombay", shall be substituted.

[F. No. PTB-36/79] S. P. JAIN, Dy. Secy.

नर्द विरुली, 20 नवम्बर, 1979

सां का लि 1475. — केन्द्रीय मरकार महा पत्तन न्यास प्रधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 132 की उपधारा (1) के साथ पिठन धारा 124 की उपधारा (1) द्वारा प्रवत्न शिक्तयों का प्रयोग करते हुए उक्त श्रधिनियम की धारा 123 के (च) से (म) तक के खंडों द्वारा शिक्तयों का प्रयोग करने हुए कांडला पत्तन के न्यामियों के बोर्ड द्वारा शिक्तयों का प्रयोग करने हुए कांडला पत्तन के न्यामियों के बोर्ड द्वारा निर्मित शीर गूजरान सरकार के विनोक्त 19 जुलाई, 1979 शीर 26 जुलाई, 1979 के राजपन्न में प्रकाशिन कांडला पत्तन न्यास (स्टी-वीडोरों को नाइसेंस वेना शीर श्रन्य संबंधित विषय) विनियम 1979 का श्रनुसोदन करनी है।

[फा० सं० पी० डब्स्यू०-पी० जी० गुल-49/79] सुदर्शन वस्देव, उप सचिव

New Delhi, the 20th November, 1979

C.S.R. 1475.—In exercise of the powers conferred by subsection (1) of section 124, read with sub-section (1) of section 132, of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves the Kandla Port Trust (Licensing of Stevedores and Allied Matters) Regulations, 1979, made by the Board of Trustees of the Port of Kandla in exercise of the powers conferred by clauses (1) to (0) of section 123 of the said Act, and published in the Gujarat Government Gazette dated the 19th July, 1979 and the 26th July, 1979.

[PW-PGL-49/79] S. VASUDEV, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 24 नवम्बर, 1979

सां० कां० नि०1476.—महापत्तन न्यांस मधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 132 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 124 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रशीम करते हुए 876 GI/79—15

केन्द्रीय सरकार बंबई पत्तन के त्यामी संख्ल द्वारा जनम अधिनियम की धारा 124 की उपधारा (2) के साथ पठिन धारा 28 द्वारा प्रदत्त णिक्तयों का प्रयोग करने हुए निर्मित और महाराष्ट्र सरकार के 26 जुलाई, 1979 और 2 अगस्त, 1979 के राजपत्र में प्रकाणित बंबई गत्तन न्याम विनियम (भिथ्ष्य निधि) के विनियम 21 के संगोधन का अनुमोदन करती है।

[सं० पी० ई० बी-17/78] विण्वानाथ भर्मा, अवर सचिव

New Delhi, the 24th November, 1979

G.S.R. 1476.—In exercise of the powers conferred by subsection (1) of section 124 read with sub-section (1) of section 132 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves of the amendment to regulation 21 of the Bombay Port Trust Regulations of the Provident Fund made by the Board of Trustees of the Port of Bombay in exercise of the powers conferred by section 28 read with sub-section (2) of section 124 of the said Act and published in the Maharashtra Government Gazette, dated the 26th July, 1979 and the 2nd August, 1979.

[No. PEB-17/78] V. N SHARMA, Under Secy.

सुचना ग्रोर प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, 26 मितम्बर, 1979

सा० का० ति० 1477.—राष्ट्रपति, संविधानं के अनुक्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए, श्राकाशवाणी (वर्ग 3 पद) भर्ती नियम, 1964 में और संशोधन करने के लिए भिम्निचिद्वत नियम बनाने हैं, श्रर्थात्:—

- 1. (1) इन नियमों का मक्षिप्त नाम म्राकाणवाणी (वर्ग 3 पद) भर्ती (संगोधन) नियम, 1979 है।
 - (2) ये राजपन्न में प्रकाशन की नारीख को प्रवत्त होंगे।
- 2. ग्राकाणवाणी (वर्ग 3 पद) भर्ती नियम, 1964 की ग्रानुसूची में:----
 - (i) क्रमणः प्रयोगणाला सहायक, तकनीकी पर्यवेक्षक भीर रेडियो तक्नीकी पदों से संबंधित कम संबंधित 12, 16 भीर 19 में, निस्तानिखन टिप्पण श्रंतः स्थापित किया जाएगा, प्रथति:-
 - "टिप्पण : प्रधोगणाला सहायक, तकनीकी पर्यवेक्षक और रेडियो तक-नीकी के पदधारी इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाणित होने की तारीख से ज्येष्ठ तकनीकी की श्रेणी में भ्रामसित हो आएंगे और नद्दुसार उनके पद संपरिवर्तित हो जाएंगे।
 - (ii) टेलीमिने भापरेटर के पद में संबंधित कम संख्यांक 42 के नीचे, निम्नीलिखिन टिप्पण श्रंतः स्थापित किया जाएगा, ग्रंथातः
 - टिप्पणः टेलीसिने घापरेटर के पवधारी इस घधिसूचना के राजपत्त में प्रकाणित होने की तारीख ने ज्येष्ट तकनीकी की श्रेणी में घामेलित हो आएंगे धीर तद्नुसार ये पद संपरिवर्तित हो आएंगे।"

ृसं० 704/11/77-बी० (डी०)] वी० कृष्णन्, भ्रवर सचिव

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

New Delhi, the 26th September, 1979

G.S.R. 1477.—In exercise of the powers conferred by th proviso to article 309 of the Constitutions, the Presider hereby makes the following rules further to amend the A

India Radio (Class III Posts), Recruitment Rules, 1964

- 1. (i) These rules may be called the All India Radio (Class III Posts/Recruitment Amendment) Rules, 1979
- (ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Schedule to the All India Radio (Class III Posts) Recruitment Rules, 1964 :-
 - (i) in serial numbers 12, 16 and 19 relating to the posts of Laboratory Assistant, Technical Supervisor and Radio Technician, respectively below each serial num-

ber the following Note shall be inserted, at the end namely:-

"Note.-The incumbants of the posts of Laboratory Assistant, Technical Supervisor and Radio Technician, as on the date of publication of this notification in the Official Gazette, shall stand absorbed in the grade of Senior Technician and their posts shall stand accordingly converted.

(ii) below serial number No. 42 relating to the post of Telecine Operator, the following Note shall be in-

serted, namely :-

"Note.---The incumbants of the post of Telecine Operator, as on the date of publication of this notification in the Official Gazette shall stand absorbed in the grade of Technician and the posts shall accordingly stand converted."

> [No. 704/11/77-B(D)] V. KRISHNAN, Under Secv.

नई दिल्ली, 23 नवम्बर, 1979

सा॰का॰िम॰ 1478.—-राष्ट्रपति, संविधान के श्रनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त मक्तियों का प्रयोग करते हुए, सूचना धीर प्रसारण संज्ञालय के भ्रष्ठीन फिल्म प्रभाग में स्वागत कर्ता के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं, प्रथीत:---

- संक्षिप्त नाम ग्रीर प्रारम्भ:--(1) इन नियमों का नाम फिल्म प्रभाग (स्वागतकती) भर्ती नियम, 1979 है।
- (2) ये राजपव में प्रकाशन की नारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. पद संख्या, अमींकरण और बेननमान:--उक्ष्म पद संख्या, उसका वर्गीकरण श्रीर उसका वेतनमान वे होंगे जो इससे इन नियमों से उपाबद्ध शनुसुखी के स्तम्भ 2 से 4 तक में विनिर्दिष्ट हैं।
- 3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और धर्हनाएं धादि:—उनन पद पर भर्ती की पद्धति, धायु-सीमा, घर्हनाएं और उससे सम्बन्धित धन्य वातें वे होंगी जो पूर्वोक्त धनसूची के स्तम्भ 5 से 13 तक में विनिदिष्ट हैं।
 - 4. निर्म्हताएं:---वह व्यक्ति---
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पनि या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या
- (खा) जिसने प्रपने पति या प्रपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, उक्त पर पर नियुक्ति का पाझ नहीं होगा :

परन्तु यवि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति ग्रीर विवाह के श्रन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के ग्राधीन श्रनक्षेय 🕏 ग्रीर ऐसा करने के लिए श्रन्य श्राक्षार मौजूद हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

- 5. नियम शिथिल करने की शक्ति:—जहां केन्द्रीय सरकार की राय हो कि ऐसा करना ब्रावश्यक या समीचीन है, जहां वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखवा करके, इन नियमों के किसी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबन, ग्रादेश द्वारा, शिथिल कर सकेगी।
- 6. व्यावृत्ति:--इन नियमों की कोई भी बात ऐसे प्रारक्षणों, प्रायु-सीमा में छूट प्रौर धन्य रियायतो पर प्रभाव नही डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में समय-समय पर निकाले गए प्रादेशों के धनुसार धनुसूचिन जातियों, अनुसूचिन जनजातियों भौर धन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना भ्रपेक्षित है।

समुसूची

पदकानाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चेयन पद अथवा अचयन पद		सीधे भर्ती किए जाने जाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित गैक्षिक और ग्रन्य प्रहेताएं
1	2	3	4	5	6	7
स्थागतकर्सा	1	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', भ्रराजपन्नित, लिपिकवर्गीय	260-6-290-द० रो०-6-326-8-366- द०रो०-8-390-10- 400 रुपए	लाग ृनहीं हो ता	18 वर्ष से 25 वर्ष तक । टिप्पण : ग्रायु-सीमा अवधारित करने की निर्णायक सारीका, भारत में रहने वाले अभ्याधियों से (उनसे भिन्न जो प्रमान और निकोबार द्वीपसमूह तथा लक्षद्वीप में रहने हैं) आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई	किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से में ट्रिकुलेशन या समतुल्य । बांछ्मीय : (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्व- विद्यालय से उपाधि या समसुल्य और हिन्दी का ज्ञान । (ii) स्वागतकर्ता के रूप में एक वर्ष का ग्रमुभव ।